प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0,

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या:एस0पी0एम0यू0/एम0आई0एस0/ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/2015–16(Vol-2)/51–ई/7307-75 दिनांक: 08/10/18

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ब्लॉक डाटा इंट्री ऑपरेटर हेतु दिशा–निर्देश (वित्तीय वर्ष 2018–19)।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 2018–19 (ROP F.No. 10(10)/2018-NHM-I Dated 13.07.2018) में प्राप्त स्वीकृति एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य कार्यकारी समिति की 103वीं बैठक दिनांक 21.08.2018 के एजेण्डा मद संख्या 103.84 में लिये गये निर्णय के क्रम में, मिशन फ्लैक्सीपूल में एच0एम0आई0एस0 एवं एम0सी0टी0एस0 के अन्तर्गत न्यू **एफ0एम0आर0 कोड संख्या 16.8.3.1.9** (पूर्व एफ0एम0आर0 कोड संख्या B.15.3.1.2) **"डाटा इन्ट्री ऑपरेटर–ब्लॉक लेवल"** हेतु निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया है:–

"Lumpsum amount of Rs. 1,566.25 lakhs has been approved for data entry operation, which may be outsourced, to the extent possible. Please refer to JS (Policy)'s letter dated 22nd July 2016 for details." 16.5.1, 16.8.1.3.10, 16.8.1.4.9, 16.8.1.5.9, 16.8.2.1.9, 16.8.2.2.9, 16.8.2.3.9 and 16.8.3.1.9 Additional budget required for data entery may be proposed in supplementary PIP or may be met out from savings.

संयुक्त सचिव, भारत सरकार के आर0ओ0पी0 में सन्दर्भित पत्र संख्या 10(36)2015-NRHM-I दिनांक 56 22.07.2016 के क्रम में निर्देशित किया गया है कि यदि राज्यों द्वारा वर्तमान में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के स्थान पर डाटा इन्ट्री कार्य हेतु आउटसोर्सिंग करना सम्भव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राज्यों को पूर्व में स्वीकृत डाटा इन्ट्री आपरेटरों के पदों को बनाये रखने हेतु विकल्प दिया गया है, साथ ही डाटा इन्ट्री आपरेटर के नवीन पदों की स्वीकृति न प्रदान करते हुए नवीन भर्तियाँ न करने हेतु निर्देशित किया गया हैं।

उपरोक्त के क्रम में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत आर0ओ0पी0 2018–19 में मिशन फ्लैक्सीपूल के न्यू **एफ0एम0आर0 कोड नं0 16.8.3.1.9**(पूर्व एफ0एम0आर0 कोड संख्या B.15.3.1.2) **"डाटा इन्ट्री ऑपरेटर–ब्लॉक लेवल"** में एवं राज्य कार्यकारी समिति की 103वीं बैठक दिनांक 21.08.2018 के एजेण्डा मद संख्या 103.84 में लिये गये निर्णय के क्रम में एम0सी0टी0एस0/आर0सी0एच0 पोर्टल के सफल संचालन हेतु ब्लॉक स्तर पर डाटा इन्ट्री हेतु रु0 14,000.00 प्रतिमाह की दर से बजट स्वीकृत् किया गया है।

S.No.	Districts	No. of Blocks	Total Approved @ Rs 14,000.00/ month/ operator for 820 Block DEOs for 06 Months (Apr18 to Sep18)	Fund allocated for 4 months DHAP of FY 2018-19	Balance fund to be allocated for 2 months DHAP of FY 2018-19
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4= Col 3x14000*6	Col.5= Col 3x14000*4	Col 6= Col.4-Col.5
1	Agra	15	1260000	840000	420000
2	Aligarh	12	1008000	672000	336000
3	Allahabad	20	1680000	1120000	560000
4	Ambedkar Nagar	9	756000	504000	252000
5	Amethi	13	1092000	728000	364000
6	Amroha (JP Nagar)	6	504000	336000	168000
7	Auraiya	7	588000	392000	196000
8	Azamgarh	22	1848000	1232000	616000
9	Baghpat	6	504000	336000	168000
10	Bahraich	14	1176000	784000	392000
11	Ballia	17	1428000	952000	476000
12	Balrampur	9	756000	504000	252000

Scanned by CamScanner

S.No.	Districts	No. of Blocks	Total Approved @ Rs 14,000.00/ month/ operator for 820 Block DEOs for 06 Months (Apr18 to Sep18)	Fund allocated for 4 months DHAP of FY 2018-19	Balance fund to be allocated for 2 months DHAP of FY 2018-19
13	Banda	8	672000	448000	224000
14	Barabanki	15	1260000	840000	420000
15	Bareilly	15	1260000	840000	420000
16	Basti	14	1176000	784000	392000
17	Bijnor	11	924000	616000	308000
18	Budaun	15	1260000	840000	420000
19	Bulandshahar	16	1344000	896000	448000
20	Chandauli	9	756000	504000	252000
21	Chitrakoot	5	420000	280000	140000
22	Deoria	16	1344000	896000	448000
23	Etah	8	672000	448000	224000
24	Etawah	8	672000	448000	224000
25	Faizabad	11	924000	616000	308000
26	Farukkhabad	7	588000	392000	196000
27	Fatehpur	13	1092000	728000	364000
28	Firozabad	9	756000	504000	252000
29	Gautam Buddha Nagar	4	336000	224000	112000
30	Ghaziabad	4	336000	224000	112000
31	Ghazipur	16	1344000	896000	448000
32	Gonda	16	1344000	896000	448000
33	Gorakhpur	19	1596000	1064000	532000
34	Hamirpur	7	588000	392000	196000
35	Hapur	4	336000	224000	112000
36	Hardoi	19	1596000	1064000	532000
37	Hathras	7	588000	392000	196000
38	Jalaun	9	756000	504000	252000
39	Jaunpur	21	1764000	1176000	588000
40	Jhansi	8	672000	448000	224000
41	Kannauj	8	672000	448000	224000
42	Kanpur Dehat	10	840000	560000	280000
43	Kanpur Nagar	10	840000	560000	280000
44	Kasganj	7	588000	392000	196000
45	Kaushambi	8	672000	448000	224000
46	Kushi Nagar	14	1176000	784000	392000
47	Lakhimpur Kheri	15	1260000	840000	420000
48	Lalitpur	6	504000	336000	168000
49	Lucknow (+3 Block)	8	672000	448000	224000
50	Maharajganj	12	1008000	672000	336000
51	Mahoba	4	336000	224000	112000
52	Mainpuri	9	756000	504000	252000
53	Mathura	10	840000	560000	280000
54	Mau	9	756000	504000	252000
55	Meerut	12	1008000	672000	336000
56	Mirzapur	12	1008000	672000	336000

Scanned by CamScanner

S.No.	Districts	No. of Blocks	Total Approved @ Rs 14,000.00/ month/ operator for 820 Block DEOs for 06 Months (Apr18 to Sep18)	Fund allocated for 4 months DHAP of FY 2018-19	Balance fund to be allocated for 2 months DHAP of FY 2018-19
57	Moradabad	8	672000	448000	224000
58	Muzaffar Nagar	9	756000	504000	252000
59	Pilibhit	7	588000	392000	196000
60	Pratapgarh	17	1428000	952000	476000
61	Raebareli	18	1512000	1008000	504000
62	Rampur	6	504000	336000	168000
63	Saharanpur	11	924000	616000	308000
64	Sambhal	8	672000	448000	224000
65	Sant Kabir Nagar	9	756000	504000	252000
66	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	6	504000	336000	168000
67	Shahjahanpur	15	1260000	840000	420000
68	Shamali	5	420000	280000	140000
69	Shrawasti	5	420000	280000	140000
70	Siddharth Nagar	14	1176000	784000	392000
71	Sitapur	19	1596000	1064000	532000
72	Sonbhadra	8	672000	448000	224000
73	Sultanpur	13	1092000	728000	364000
74	Unnao	16	1344000	896000	448000
75	Varanasi	8	672000	448000	224000
		820	**68880000**	**45920000**	**22960000**

उपरोक्तानुसार **"डाटा इन्ट्री ऑपरेटर–ब्लॉक लेवल"** हेतु वित्त अनुभाग द्वारा जनपदों को डैप के माध्यम से धनराशि आंवटित की गयी है। अतः उक्त मानकों के अनुसार एच0एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0 मद में डैप में अनुमोदित स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष धनराशि का नियमानुसार व्यय न्यू **एफ0एम0आर0 कोड नं0 16.8.3.1.9** (पूर्व एफ0एम0आर0 कोड संख्या B.15.3.1.2) से जनपद पर उपलब्ध धनराशि से किया जाए एवं डैप के सापेक्ष व्यय विवरण ससमय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त के साथ ही पोर्टल पर डाटा प्रविष्टि एवं अपडेशन की समयबद्धता, पूर्णता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने एवं प्रदेश में डाटा इन्ट्री से सम्बन्धित विषमताओं के निवारण एंव एकरुपता हेतु निम्नवत् दिशा–निर्देश हैं:–

आवश्यक दिशा–निर्देश :–

- डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा एम0सी0टी0एस0/एच0एम0आई0एस0/आर0सी0एस0 पोर्टल पर ससमय, शत–प्रतिशत एवं गुणवत्तापूर्ण डाटा प्रविष्ठ किया जाये, डाटा की जाँच एवं पुष्टि ए0आर0ओ0 द्वारा की जाये जिसकी समीक्षा ब्लाक एवं जनपद स्तर पर नियमित रुप से की जाये।
- एच0एम0आई0एस0 मासिक रिपोर्ट एवं वर्षिक इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट एवं यू0पी0एच0एम0आई0एस0 हेतु ऑकड़ों को ससमय पोर्टल पर प्रविष्ठ एवं अपडेट किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- नियमित रुप से वर्क प्लान जनरेट कर ए0एन0एम0 को उपलब्ध कराया जाये एवं भरे हुये वर्क प्लान की सूचना को पार्टल पर ससमय अपडेट किया जाये।
- ब्लॉक एवं जनपद स्तर पर मास्टर डेटाबेस एवं ग्राम स्तरीय मैपिंग की पोर्टल पर शत–प्रतिशत जाँच एवं पुष्टि की जाये।
- लाभार्थियों एवं स्वास्थ्य कार्यकत्रियों (ए0एन0एम0 एवं आशा) का पूर्ण विवरण उनके दूरभाष, टेलीकाम प्रोवाइडर आधार एवं बैंक विवरण के साथ पोर्टल पर ससमय दर्ज एवं अपडेट किया जाना एवं दर्ज सभी रिकार्डस का वेरीफिकेशन(सत्यापन) पोर्टल पर किया जाना।

Scanned by CamScanner

/

- जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी के सहयोग से ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की क्षमतावर्धन करेंगे तथा डाटा इन्ट्री की संख्यात्मक प्रगति और गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगें।
- ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को समय–समय पर जनपद/मण्डल स्तरीय पोर्टल संबधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनिवार्य रुप से भेजा जाये साथ ही प्रदेश में भारत सरकार स्तर से विकसित नवीन अनमोल ऐप का प्रशिक्षण प्राप्त कर ब्लॉक की समस्त ए0एन0एम0 कार्यकत्रियों की हैण्ड–होल्डिंग की जानी सुनिश्चित की जाए जिससे कि प्रदेश में अनमोल ऐप का सफल क्रियान्वयन हो सके ।
- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सभी ब्लॉक की मासिक समीक्षा विस्तृत रुप में की जाये एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा पोर्टल पर कार्य करने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाये।
- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सभी ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के बैंक एकाउन्ट में ससमय भुगतान, Labour Laws एवं Minimum Wages Act का पालन करते हुए कराया जाये एवं यदि इस सम्बनध में कोई भी शिकायत प्राप्त हो तो समस्या का निवारण तत्काल प्रभाव से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- ब्लॉक स्तर पर कार्यरत ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों हेतु वर्ष 2017–18 हेतु प्रतिमाह स्वीकृत धनराशि रू0 14000.00/– के सापेक्ष मानव संसाधन अनुभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रतिमाह धनराशि रु0 9556.00/–, ई0पी0एफ0, सर्विस चार्ज, जी0एस0टी0 आदि ब्रेकअप का पालन Annexture-1 के अनुसार किया जाये। ब्रेकअप के अर्न्तगत EPF(Employer@13.15%) हेतु धनराशि रु0 5054.77 लाख, भारत सरकार द्वारा एन0एच0एम0 के अर्न्तगत रु015000/– या इससे कम धनराशि प्राप्त करने वाले कान्ट्रेक्चुअल कर्मियों हेतु FMR B.30.21 के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत है जिसके सम्बन्ध में जनपदों को पत्रांकः 03/एस0पी0एम0यू0/लेखा/ 2015–16/वेतन/4682 दिनांक 11.08.2017 को प्रेषित किया गया है।
- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सभी ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों का मूल्यांकन पोर्टल पर प्रविष्टि डाटा की समयबद्धता, पूर्णता एवं गुणवत्ता के आधार पर किया जाये।
- डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के कार्य की समीक्षा त्रैमासिक आधार पर की जानी है जिस हेतु बेन्चमार्क औसतन 125 रिकार्ड्स प्रति दिन एवं न्यूनतम 2500 नवीन पंजीकरण/सर्विस अपडेशन प्रति माह एम0सी0टी0एस0/आर0सी0एच0 पोर्टल पर किया जाना भारत सरकार स्तर से निर्धारित किया गया है। अन्यथा की दशा में सम्बन्धित हेतु मानव संसाधन सपोर्ट प्रदान किया जाना संभव नही होगा।
- ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों हेतु अनुबन्ध 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य (भारत सरकार से स्वीकृत वित्तीय वर्ष) की समयावधि अनुसार ही किया जाये।

व्यय सम्बन्धी विस्तृत दिशा–निर्देशः

उक्त धनराशियों का व्यय ''आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट'' में दी गयी व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही किया जाय। निम्न निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करें।

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमो/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारों की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appopriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. जिला स्वास्थ्य समित एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
5. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

Scanned by CamScanner

6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

9. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU /NRHM/ACCOUNT/490–8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख–रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या:एस0पी0एम0यू0/एम0आई0एस0/ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/2015–16(Vol-2)/51–ई/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0 एवं महाप्रबन्धक–एम0आई0एस0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(बी0के0 जैन)
महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0

Scanned by CamScanner

(Annexure A)

Honorarium release of Block DEOs for FY 2017-18. Bifurcation details of budget of Rs. 14,000.00/- under various heads is mentioned below in table A, B &C.

Table A

Through Agency with 10% Service Charge	**Amount in Rs.**
In hand honorarium in employee account(fixed)	9556
EPF (Employee@12%)	1147
ESI (Employee@1.75%+Employer@4.75%)=6.50%	621
Agency Service Charge upper limit= 10%	956
GST @ 18%	1720
Sub Total	**14000**
EPF (Employer@13.15%)	1257
Total Payable to Agency	**15257**

Table B

Through Agency with 8% Service Charge	**Amount in Rs.**
In hand honorarium in employee account(fixed)	9556
EPF (Employee@12%)	1147
ESI (Employee@1.75%+Employer@4.75%)=6.50%	621
Agency Service Charge upper limit= 8%	764
GST @ 18%	1720
Sub Total	**13808**
EPF (Employer@13.15%)	1257
Total Payable to Agency	**15065**

Table C

Through Agency with 6% Service Charge	**Amount in Rs.**
In hand honorarium in employee account(fixed)	9556
EPF (Employee@12%)	1147
ESI (Employee@1.75%+Employer@4.75%)=6.50%	621
Agency Service Charge upper limit= 6%	573
GST @ 18%	1720
Sub Total	**13617.08**
EPF (Employer@13.15%)	1257
Total Payable to Agency	**14874**

It is to inform that GoI has sanctioined Rs.5054.77 lacs under FMR code B.30.21 for EPF compliance of Employer share in F.Y. 2017-18 to contractual staff NHM UP dwrawing salary less than or equal to Rs.15,000/- per month. The budget relased to EPF compliance has been released to Districts vide letter no. 03/SPMU/NHM/LEKHA/2015-16/VETAN/4682 dated 11/08/2017 under FMR code B.30.21 which may be utilised to meet out the EPF compliance of Employer share.